क्रम-संख्या–4(क-2)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई0

(पौष 28, 1946 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3647/दस-लाइसेंस-33/माडल शाप नियमावली/2024-2025

प्रयागराज, दिनांक 18 जनवरी, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0-02

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना संख्या-17951/दस-लाइसेंस-33/एफ0एल0, माडल शाप/2003-04 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की मॉडल शॉप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)
(**सत्रहवाँ** संशोधन) नियमावली, 2024

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) **(सत्रहवाँ संशोधन)** नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-8 का संशोधन- उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
8-आवेदक की पात्रता की शर्तें- माडल शाप के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-	8-आवेदक की पात्रता की शर्तें- माडल शाप के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-
(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो:	(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो:
परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।
भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी माडल शाप के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी तथा मदिरा/ बीयर निर्माता भी किसी माडल शाप का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा;	भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी माडल शाप के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी तथा मदिरा/ बीयर निर्माता भी किसी माडल शाप का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा;
दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे:	दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे:
परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।	परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस,यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा, जो संयुक्त रुप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस,यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा, जो संयुक्त रुप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसों वाली दुकानों के मामले में नवीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंधारी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती आवेदन नही देता है अथवा वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो , आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अन्य जीवित लाइसेंधारी के पक्ष में सम्बन्धित वर्ष हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, विहित दिनांक तक जमा करने के निर्बंधन के साथ दुकान का नवीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी। **परन्तु यह और भी कि यदि पूर्ववर्ती वर्षो से नवीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंधारी वाली दुकानों का नवीकरण केवल दानों ही लाइसेंधारियों के मध्य नवीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीकरण किया जाना अनुमन्य नही होगा।**
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो;	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो;
(ग) अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने करने के लिये व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न किया गया हो;	(ग) अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने करने के लिये व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न किया गया हो;
(गग) आवेदक किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा:	(गग) आवेदक किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा:
परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होगें और नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी;	परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होगें और नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात:- (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर माडल शाप खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है; (दो) यह कि उसके दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन करके निर्मित नहीं किया गया है; (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया हो; (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट , सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लाइसेंस निर्गत होने के पूर्व यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यो का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है; (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस संदाय करने पर अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा;	(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात:- (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर माडल शाप खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है; (दो) यह कि उसके दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन करके निर्मित नहीं किया गया है; (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया हो; (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट , सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लाइसेंस निर्गत होने के पूर्व यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यो का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है; (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस संदाय करने पर अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों का या सरकारी देयों का बकाया नहीं है;	(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों का या सरकारी देयों का बकाया नहीं है;
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;
(आठ) यह कि आवेदक बार काउसिंल से रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये भी अनर्ह होगा;	(आठ) यह कि आवेदक बार काउसिंल से रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये भी अनर्ह होगा;
(नौ) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर ऐसे चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा;	(नौ) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर ऐसे चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा;
(दस) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान के आवेदन हेतु नही किया है;	(दस) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान के आवेदन हेतु नही किया है;
(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अपलोड की जायेगी। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा, जिसे आवेदक को सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;	(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अपलोड की जायेगी। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा, जिसे आवेदक को सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो एवं ऋणशोधन क्षमता तथा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पति प्रमाण पत्र की क्षमता जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस फीस की धनराशि से कम नही होगी; परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राहय होंगे।	(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो एवं ऋणशोधन क्षमता तथा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पति प्रमाण पत्र की क्षमता जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस फीस की धनराशि से कम नही होगी; परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राहय होंगे।

3-नियम-10 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
10-लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	10-लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	परन्तु यह कि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नही की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी।
	परन्तु यह और कि यदि आवेदक नियत समयावधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;
अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस, लाईसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि में जमा की जायेगी:	अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस, लाईसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि में जमा की जायेगी:
	परन्तु यह कि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नही की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी । शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी।
परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;	परन्तु **यह और कि** यदि वह **नियत समयावधि** के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो **उसके लाइसेंस का नवीकरण** निरस्त हो जायेगा;
परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	परन्तु यह **भी** कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

4-नियम-12 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वियमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1 (वियमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
12- मदिरा/बीयर का उठान-	12-मदिरा/बीयर का उठान-
(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से विदेशी मदिरा और बियर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0म0-2ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0म0-2ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।	(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से विदेशी मदिरा और बियर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0म0-2ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0म0-2ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोक्ताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम शासन द्वारा विदेशी मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;	(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोक्ताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम शासन द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो उससे सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की अग्रतर कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।	(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो उससे सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की अग्रतर कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।
(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के बराबर मदिरा उठाने में विलम्ब मर्षण के पश्चात् लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व के साथ चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।	(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के बराबर मदिरा उठाने में विलम्ब मर्षण के पश्चात् लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व के साथ चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।
(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।	(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।	(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।
(घ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का आंशिक भाग, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।	(घ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का आंशिक भाग, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	परन्तु यह कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य उठान और पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य उठान लाइसेंसधारी द्वारा किया जा सकेगा । किसी माह/त्रैमास के लिए अवधारित कुल राजस्व के समतुल्य उठान कर लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया शेष न रहने की स्थिति में तुरन्त वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित अपेक्षित राजस्व के समतुल्य उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।
(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।	(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा:	(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा:
परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5-नियम-18 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
18-अन्तरिम एवं मध्य-सत्र में व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअधिसूचित दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन उच्चतम आफर पर एक बार में अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिये या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में व्यवस्थापन सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को प्रतिदिन की लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा। (ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामलें में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	18-अन्तरिम एवं मध्य-सत्र में व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअधिसूचित दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन उच्चतम आफर पर एक बार में अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिये या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में व्यवस्थापन सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को प्रतिदिन की लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा। (ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामलें में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। **मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार किये जायेगें। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना, आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।**

डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH

No. 3647/X-Licence-33/Model Shop Niyamawali /**2024-25**

Prayagraj, Dated : January 18, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) Rules,2003 published vide Notification no. 17951/X-Licence-33/F.L.Model Shop/2003-2004, dated September 03, 2003, **namely**

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF RETAIL LICENCES FOR MODEL SHOP OF FOREIGN LIQUOR) (**SEVENTEENTH** AMENDMENT) RULES, **2024**

1. Short title and commencement–1.(1)These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor)(**Seventeenth** Amendment) Rules,**2024.**

(2)They shall be deemed to have come into force with effect from **1st April, 2024.**

2. Amendment of rule-8–2. In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) Rules, 2003 **(**hereinafter referred to as the **"**said rules"**)** for rule-8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
8-Eligibility conditions for applicant :-	8-Eligibility conditions for applicant :-
Eligible applicant for licene of a model shop must fulfil following conditions namely:	Eligible applicant for licence of a model shop must fulfil following conditions namely:
a) Application by an individual who is a citizen of India:	a) Application by an individual who is a citizen of India:
Provided that in case of renewal co-applicant, if any, who is a citizen of India, shall also be allowed.	Provided that in case of renewal co-applicant, if any, who is a citizen of India, shall also be allowed.
No partnership firm or company shall be eligible for the grant of model shop. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any model shop.	No partnership firm or company shall be eligible for the grant of model shop. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any model shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license.	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license.
Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:

Column-I	Column-II
(Existing rule)	*(Rule as hereby substituted)*
Provided further that if a licence is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;	Provided further that if a licence is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible; Provided also that in the case of shops with two licenses which have been renewed since previous years, if one of the licencees dies before renewal and his legal heir or nominee does not submit the application or is found unsuitable, then on receipt of the application, renewal of the shop for the concerned year in favour of the second surviving licensee will be permissible with the restriction of depositing the entire security of the shop by the prescribed date. At the end of the financial year, the security deposit of that year will be returned as per rules: Provided also that if the shops with two surviving licencees which are getting renewed since previous years, will be renewed only in the case of consensus between both the licencees for renewal. In the absence of consensus, renewal will not be permissible.
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application;	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application;
(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the license until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law;	(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the license until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law;
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential;	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential;
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following, namely:-	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following, namely:-
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the Model Shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the Model Shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;
(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;	(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;

Column-I *(Existing rule)*	Column-II *(Rule as hereby substituted)*
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence;	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence;
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to the issuance of licence;	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to the issuance of licence;
(v) that he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer on payment of fee as may be prescribed by the State Government from time to time;	(v) that he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer on payment of fee as may be prescribed by the State Government from time to time;
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required;	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required;
(viii) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If it is found that he is a registered advocate after getting the license, then the license shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;	(viii) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If it is found that he is a registered advocate after getting the license, then the license shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;
(ix) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection;	(ix) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection;
(x) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase;	(x) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase;

Column-I	Column-II
(Existing rule)	*(Rule as hereby substituted)*
(e) the applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.	(e) the applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.
In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	In case of selection as **licencee**, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.
(f) that he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:	(f) that he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:
Provided that in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount .	Provided that in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount .

3. Amendment of rule–In the said rules, for existing rule-10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I	Column-II
(Existing rule)	*(Rule as hereby substituted)*
10. Deposit of license fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate or Bank Guarantee, the same shall be acceptable till it is not refunded.	**10.** Deposit of license fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection .Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate or Bank Guarantee, the same shall be acceptable till it is not refunded.

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
	Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit security amount along with penalty:
	Provided further that if applicant fails to deposit the licence fee or security amount within stipulated time period, his selection shall stand cancelled.
In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, entire amount of license fee and difference of security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:	In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, entire amount of license fee and difference of security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:
	Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit security amount along with penalty.
Provided that if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:	Provided **further** that if he fails to deposit the amount of license fee **or** security amount within **stipulated time** period **renewal of** his **licence** shall stand cancelled:
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal **fee**, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

4. Amendment of rule-12– In the said rules, for existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
12**.** Lifting of liquor/beer	12**.** Lifting of liquor/beer
(a) The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine/beer/low alcoholic beverages from any wholesale license (F.L.2/FL-2B) of the Districts after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time. If the (F.L.2/FL-2B) license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.	(a) The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine/beer/low alcoholic beverages from any wholesale license (F.L.2/FL-2B) of the Districts after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time. If the (F.L.2/FL-2B) license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.
(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB for a month fixed by government;	(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB for a month fixed by government;
(c) (i) In case the licensee fails to lift liquor (Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB) at least equivalent to fixed Monthly Minimum Guaranteed Revenue in a month, then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be forfeited.	(c) (i) In case the licensee fails to lift liquor (Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB) at least equivalent to fixed Monthly Minimum Guaranteed Revenue in a month, then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be forfeited.
(ii) After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licensee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.	(ii) After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licensee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.

Column-I *(Existing rule)*	Column-II *(Rule as hereby substituted)*
(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous month along with Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the next month.	(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous month along with Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the next month.
(iv In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of one or more months before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.	(iv In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of one or more months before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.
If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue.	If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue.
(d) (i)The licensee desiring to transfer a part of Monthly Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on monthly basis, within an excise district.	(d) (i)The licensee desiring to transfer a part of Monthly Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on monthly basis, within an excise district. **Provided that in case additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter is deposited within time, lifting can be made by the licensee equivalent to the revenue fixed for the next month as well as equivalent to the outstanding revenue of the previous month/quarter. If lifting is made equivalent to the total revenue fixed for any month/quarter, the additional security deposited earlier shall be refunded immediately by the District Excise Officer in case there is no other outstanding balance. Compounding action shall be taken if lifting is not made in the next month/quarter equivalent to the required revenue inclusive of outstanding revenue of the previous month/quarter**.
(ii)The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.	(ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.

Column-I *(Existing rule)*	Column-II *(Rule as hereby substituted)*
(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Monthly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Monthly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected: Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.	(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Monthly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Monthly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected: Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.

5. Amendment of rule-18–In the said rules, for existing rule-18 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	Column-II *(Rule as hereby substituted)*
18- Interim and Mid-session Settlement (a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of 14 days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.	18- Interim and Mid-session Settlement (a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of 14 days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.	(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner. Single tender shall also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in the mid-session. Information of the aforesaid settlement shall have to be sent forthwith to the Excise Commissioner.

Dr Adarsh Singh,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–10 असाधारण गजट–24.01.2025–127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।